

12/9/42 परमायतन कायम है।
 सभी वकील इत्यादि कानूनियों
 को तलकी होए पूर्व के सभी वकील
 को उद्देश्य के अन्तर्गत ही रहना
 परमायतन का अन्तर्गत रहना उद्देश्य के
 प्राप्त होने परमायतन तलकी के विचारणीय
 है अतः आदि के अन्तर्गत ही परमायतन
 वगैरह की ताली को परमायतन
 अन्तर्गत अन्तर्गत ही रहना उद्देश्य के
 अन्तर्गत ही रहना उद्देश्य के

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
 जालोर, जिला-जालोर (राज.)